कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/प्रशा.–1/भावसे/2017/1459 भोपाल, दिनांक 11-4-17

प्रति,

समस्त भारतीय वन सेवा अधिकारी,
मध्य प्रदेश

विषय :– अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एव अपील) नियम–1969 में संशोधन बाबत।

---000---

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(प्रशा-II) म.प्र. भोपाल

विषयान्तर्गत भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 20.01.2017 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है, जिसमें भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 में आवश्यक संशोधन किया गया है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(केशव सिंह)
मुख्य वन संरक्षक(प्रशा.–1)
मध्य प्रदेश, भोपाल

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2017/पौष 30, 1938

No. 52] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2017/PAUSA 30, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 59(अ).—केन्द्र सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकारों से परामर्श करने के उपरांत अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:-

(1) इन नियमों को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) संशोधन नियमावली, 2017 कहा जा सकेगा।

(2) ये, शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1969 में, -

i) नियम 8 में, उप-नियम 5 के लिए निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

(5)(क) अनुशासनिक प्राधिकारी, सेवा के सदस्य को आरोप की मदों की प्रति, कदाचार अथवा दुर्व्यवहार के अभ्यारोपों का विवरण तथा दस्तावेजों और गवाहों की सूची देगा या दिलवाएगा, जिसके द्वारा आरोप की प्रत्येक मद को संधारित किया जाना प्रस्तावित है।

(ख) आरोप की मदों के प्राप्त होने पर सेवा के सदस्य को, यदि वह चाहता है तो, तीस दिनों की अवधि, जिसे अनुशासनिक प्राधिकारी या अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से तीस दिनों की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता है, के भीतर अपने बचाव में अपना लिखित विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, और साथ ही यह भी बताना होगा कि क्या वह व्यक्तिगत रूप में सुनवाई की जाने की इच्छा रखता है:

बशर्ते कि, बचाव का लिखित विवरण भरने के समय को किसी भी परिस्थिति में, आरोप की मदें प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिनों से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

ii) नियम 8 में, उप-नियम 24 के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा, नामत:-

(25)(क) जांच अधिकारी को जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट, जांच अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति का आदेश प्राप्त होने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करनी चाहिए।

(ख) जब, खंड (क) की समय-सीमा का अनुपालन करना संभव न हो, तो जांच अधिकारी उसके कारणों को रिकार्ड कर सकता है तथा अनुशासनिक प्राधिकारी से लिखित रूप में समय-सीमा को बढ़ाने की मांग कर सकता है, जो जांच पूरी करने के लिए छह माह के अतिरिक्त समय की अनुमति प्रदान कर सकता है।

(ग) अनुशासनिक प्राधिकारी या अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले उचित और पर्याप्त कारणों से इस अवधि में एक समय में अधिकतम छह माह से अधिक विस्तार नहीं किया जा सकता है।

iii) नियम 9 में, उप-नियम (3) और (4) के लिए निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामत:-

(3) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की आरोप के सभी मदों या किसी एक मद पर अपने निष्कर्ष के आधार पर यह राय है कि सेवा के सदस्य पर नियम 6 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति लागई जाए, तो नियम 10 में समाविष्ट किसी भी बात के होते हुए भी वह सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार ऐसी शास्ति लगाने का आदेश देगा।

(4) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की आरोप के सभी मदों या किसी एक मद तथा जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर यह राय है कि सेवा के सदस्य पर नियम 6 के खंड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति लगाई जाए तो वह सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रूप में ऐसी शास्ति लगाने का आदेश देगा।

(5)(क) प्रत्येक मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी अपनी सलाह के लिए आयोग को अग्रेषित करेगा या अग्रेषित करवाएगा-

(i) आरोप की किसी मद पर जांच करने वाले प्राधिकारी के निष्कर्ष के साथ असहमति के उसके अपने अनंतिम कारणों, यदि कोई हो, के साथ जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति; और

(ii) जांच रिपोर्ट पर सेवा के सदस्य के अभ्यावेदन पर अनुशासनिक प्राधिकारी की टिप्पणियां और असहमति टिप्पणी, यदि कोई हो, तथा जांच कार्यवाही के सभी केस-रिकार्ड।

(ख) अनुशासनिक प्राधिकारी, खंड (क) के अंतर्गत प्राप्त आयोग की सलाह की प्रति सेवा के सदस्य को अग्रेषित करेगा या अग्रेषित करवाएगा जिसे यदि वह चाहे तो अपना लिखित अभ्यावेदन या निवेदन को पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, जिसे आयोग की सलाह पर अनुशासनिक प्राधिकारी या अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से अधिकतम पन्द्रह दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है:

बशर्ते कि, किसी भी परिस्थिति में इस समय-सीमा को सेवा के सदस्य द्वारा आयोग की सलाह प्राप्त होने से पैंतालीस दिनों से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

(ग) सेवा के सदस्य पर लगाई जाने वाली शास्ति का कोई भी आदेश करने से पूर्व खंड (क) के अंतर्गत प्राप्त आयोग की सलाह तथा इस सलाह पर सेवा के सदस्य के अभ्यावेदन पर विचार कर किया जाएगा।

[फा.सं. 11018/01/2016-अ.भा.से.-III]

कविता वी. पद्मनाभन, उप सचिव (सेवाएं)

परिशिष्ट - IV (12)

(139)

अनुसार [illegible] प्रमुख घोषित करने की शक्ति शासन के प्रशासकीय [illegible] है।

(5) "संवितरण अधिकारी" (परिभाषा)

"संवितरण अधिकारी" से आशय उस अधिकारी से है जो [illegible] के देयक अथवा धनादेश के माध्यम से धन का आहरण करता है।

[म.प्र. वित्त संहिता जिल्द-एक नियम 2 (9)]

टिप्पणी- (1) म.प्र. वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2012 भाग-1 के खण्ड-1 के सरल क्रमांक 1.11 के अनुसार संवितरण अधिकारी घोषित करने के अधिकार विभाग प्रमुख को प्रदत्त है।

(2) म.प्र. कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 125 के अनुसार मूल आहरण एवं संवितरण अधिकारी (कार्यालय प्रमुख) अपने ये अधिकार अपने अधीनस्थ किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी को सौंप सकता है।

2. राज्य की लोक सेवाओं का वर्गीकरण

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 4 के अनुसार राज्य की लोक सेवाओं का वर्गीकरण निम्नानुसार है-

(एक) मध्यप्रदेश सिविल सेवा प्रथम श्रेणी;

(दो) मध्यप्रदेश सिविल सेवा द्वितीय श्रेणी;

(तीन) (क) मध्यप्रदेश सिविल सेवा तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय);

(ख) मध्यप्रदेश सिविल सेवा तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय);

(चार) मध्यप्रदेश सिविल सेवा चतुर्थ श्रेणी।

3. नियुक्ति के लिए पात्रता

संबंधित विभागों के भरती नियम के अनुसार।

4. नियुक्ति के लिए अपात्रता

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिए वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो-

(1) पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

(2) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।

(3) जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो।

(4) जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, [1][परन्तु निरर्हता नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।]

1. परन्तुक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सी 3-8-2006-3-एक, दिनांक 5-7-2006 द्वारा जोड़ा गया।